संक्षिप्त

तीन आरोपी गिरफ्तार

टोंक। देवली वृताधिकारी के सुपरविजन में थानाधिकारी हेमन्त जनागल ने दूनी क्षैत्र में कार्यवाही करते हुए स्मैक का नशा करने वाले आदतन तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्रेम गुर्जर पुत्र जगन्नाथ हॉल निवासी खेडा, रमेश पुत्र रंगलाल जाट निवासी सरोली थाना घाड एवं विष्णु सिंह पुत्र गिर्राज सिंह को स्मैक मादक पदार्थ का सेवन करते गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त थाना पुलिस ने हर्ष फायरिंग व अवैध हथियार का फोटो सोशल मिडिया पर वायरल करने के मामले में फरार आरोपी मनोज कुमार पुत्र छीत्तर बलाई निवासी कनवाडा को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया।

3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

टोंक। खाद्य विभाग के निर्देश पर शुक्रवार को जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने की कार्यवाही की गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी इंद्रपाल मीणा एवं धर्म चंद अग्रवाल ने बस स्टैण्ड टोंक स्थित दुकानों का औचक निरीक्षण कर वृंदावन नाश्ता भंडार से 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। कार्यवाही के दौरान मौके पर उक्त सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्याम महोत्सव तैयारिया जोरों-शोरों पर

निवाई। करने वाले श्याम कराने वाले श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में तृतीय श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। समिति के रवि अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव के आयोजन को लेकर तैयारिया जोर-शोर से की जा रही है। महोत्सव की तैयारियों को लेकर खंडेलवाल धर्मशाला में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई जिसमें कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। महोत्सव को लेकर साधु-संतों एवं जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को कंकाली माता मंदिर से श्रीश्याम मन्दिर तक भव्य निशान यात्रा एवं भ्रमण का आयोजन होगा।

अवैध मादक पदार्थ गांजे सहित आरोपी गिरफ्तार

बौंली-बामनवास। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण, उन्मूलन में मादक पदार्थों के विरुद्ध एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सूरवाल पुलिस थाने ने 112 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित एक आरोपी विजय मीणा को गिरफ्तार किया है। सूरवाल पुलिस थाना प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर की खास सूचना पर आरोपी विजय मीणा उम्र 25 वर्ष निवासी दूबी बिदरखा पुलिस थाना सूरवाल को अवैध मादक पदार्थ 112 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं सहित एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।

'कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा'

- कुष्ठ दिवस पर जागरूकता वाहन, जागरूकता संदेश, प्रश्नोत्तरी समेत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोटपूतली। कुष्ठ दिवस पर शुक्रवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने श्स्पर्श कुष्ठ जागरुकता अभियानश का शुभारंभ पोस्टर विमोचन कर किया। जिला अस्पताल कोटपूतली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन को जागरूक करने हेतु माईकिंग ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. माईकिंग ई-रिक्शा शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर आमजन को अभियान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। जिला कलक्टर ने कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता हेतु आमजन को संदेश देते हुए कहा कि यह अभियान समाज में कुष्ठ रोग के बारे में फैली भ्रांतियों को समाप्त करने, पहचान, उपचार और बचाव के उपायों को लेकर लोगों को जागरूक करेगा।

उन्होंने कहा कि आज भी कई लोग अंधविश्वास के कारण कुष्ठ रोग का इलाज नहीं कराते, जिससे रोग बढ़ सकता है। कुष्ठ रोग स्पर्श से नहीं फैलता और सही उपचार से ठीक किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया कि समाज में कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव और घृणा समाप्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा और जागरूकता फैलानी होगी। उन्होंने ग्राम सभा प्रमुख

स्पर्श कुष्ठ जागरुकता अभियान का शुभारंभ करती जिला कलक्टर।

(सरपंच) द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से भेदभाव दूर करने की अपील के साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा।

स्वास्थ्य जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्लोगन लेखन, माइकिंग, पम्फलेट्स वितरण, प्रचार वाहन, फ्लैक्स बैनर प्रदर्शन आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी व अन्य विभिन्न माध्यमों द्वारा आमजन को इस रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। सीएमएचओ कोटपूतली बहरोड़ डॉ0 आशीष सिंह शेखावत द्वारा लोगों को कुष्ठ रोग लक्षण, बचाव व इलाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा क्षेत्र में जाकर कुष्ठ रोग के मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा तुरंत उपचार भी शुरू करवाया जाएगा. इस दौरान जिला कलेक्टर को फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की भी विस्तार से जानकारी दी।

जिला कलेक्टर ने जिला अस्पताल परिसर में आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का निरीक्षण कर दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।।

नोडल अधिकारी ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक कुल 75 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जा चुके है जिसमें 85064 लोगों ने भाग लिया तथा 57825 लोगों को उपचार कर 32733 लोगों की जांच की गई।

आठ लाख का अवैध डोडा व गांजा जब्त, एक गिरफ्तार

- अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मोटाराम बेनिवाल के निर्देशन मे डीएसटी टीम मालपुरा व मोर थाना मे संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई

मालपुरा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थो की खरीद व बैचान की रोकथाम को लेकर जिला पुलिस अधिक्षक विकास सांगवान के निर्देशो पर अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मोटाराम बेनिवाल के निर्देशन मे डीएसटी टीम मालपुरा व मोर थाना मे संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये संवारिया गांव मे आठ लाख रूपयो के अवैध डोडा व गांजा जप्त कर एक आरोपी को किया

आठ लाख रूपयो के अवैध डोडा व गांजा जप्त कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार।

मोर थानाधिकारी राधेश्याम जाट ने बताया कि मालपुरा वृत्ताधिकारी आशीष प्रजापत के सुपरविजन मे मोर थाना व डीएसटी द्वारा गुरूवार को मुखबार का सुचना पर सवारिया गाव निवासी आरोपी राजीव जैन के यहां दबिश की कार्यवाही कर तलाशी ली गई। जिसमे आरोपी के कब्जे से 19 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा व 10 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा जप्त किया गया।

अवैध मादक पदार्थो की अनुमानित कीमत आठ लाख से अधिक आंकी गई। डीएसटी टीम ने तकरीबन तीन घंटे तक आरोपी राजीव जैन के मकान व ठिकाने पर जांच की कार्यवाही कर आरोपी को मोर थाना पुलिस के सुपुर्द किया।

जहां आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट मे मामला दर्ज कर जांच डिग्गी थानाधिकारी कप्तान सिंह को सौंपी गई। आरोपी के विरूद्ध पूर्व मे भी एनडीपीएस के मामले दर्ज है।

सुत्रो की माने तो संवारिया व आसपास के क्षैत्र मे अवैध गांजा व डोडा सहित अन्य मादक पदार्थो की बडी मात्रा मे रोजाना खरीद व बैचान की चर्चाऐं सामने आई है। उक्त क्षैत्र मे पूर्व मे भी पुलिस व डीएसटी टीम द्वारा कार्यवाही की गई है।

एसयूपीडब्लू कैंप के तहत छात्र छात्राओ को किया जागरूक

पावटा। आचार्य चाणक्य शिक्षा प्रतिष्ठान महाविद्यालय मे बीएड सत्र 2025-26 के छात्रध्यापक व छात्रध्यापिकाओ के एसयूपीडब्लू कैंप के सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन पावटा उपखंड अधिकारी कपिल उपाध्याय व तहसीलदार दिनेश कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं महाविद्यालय निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता व उपनिदेशक भुनेश शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य व समस्त महाविद्यालय स्टाफ की उपस्थिति मे सरस्वती मां के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस दौरान छात्र छात्राओ द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमो की प्रस्तुतिया दी गई। अतिथियों द्वारा छात्र छात्रा ओ को पुरुस्कार वितरित किए गए।

वहीं मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी पावटा कपिल उपाध्याय ने बताया कि हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, कर्म

अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को पुरुस्कार वितरित किए गए।

करते रहना चाहिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए सफलता और असफलता यही जीवन का सार है प्रकृति की रक्षा करना मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है।

अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा पालिका का दस्ता

पावटा कस्बे के मुख्य बाजार में पावटा। कस्बे के मुख्य बाजार में गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंचा। इस अभियान के तहत स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया। पावटा कस्बे में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने और सुगम आवागमन मुहैया कराने के लिए गुरुवार को पालिका प्रशासन नींद से जागा।

पावटा प्रागपुरा नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी फतेह सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पालिका की टीम जेसीबी और ट्रैक्टरों के साथ कस्बे के मुख्य बाजार घंटाघर चौक बाजार में पहुंची जहां से दुकानों व पालिका की खाली पड़ी भूमि राध्या वाली के सामने रोड पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया।

कुछ दुकानदारों ने टीम को अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया। जिन दुकानों के सामने रोड पर अतिक्रमण पाया गया, उन्हें पालिका की टीम ने जेसीबी की मदद से हटाने की कार्रवाई की है।

गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता की अभिवृद्धि के लिए कार्यशाला का आयोजन

- कार्यशाला से जहां एक ओर शोधार्थियों को शोध में प्रयोग की जाने वाले रिसर्च मेथोडालाजी एवं सांख्यिकी जटिलताओं को समझने में सहायता मिल सकेगी

टोंक। राजकीय महाविद्यालय, टोंक में शोध सलाहकार समिति के तत्वावधान में रिसर्च मेथोडोलाजी एवं प्लेगरिज्म विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत अतिथियों द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यशाला संयोजक डॉ. गजेन्द्र सिंह,

रिसर्च मेथोडोलाजी एवं प्लेगरिज्म विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया।

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ने कार्यशाला की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया है कि कार्यशाला शोधार्थियों, शोधनिर्देशकों एवं संकाय सदस्यों के लिये शोध गुणवत्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यशाला से जहां एक ओर शोधार्थियों को शोध में प्रयोग की जाने वाले रिसर्च मेथोडालाजी एवं सांख्यिकी जटिलताओं को समझने में सहायता मिल सकेगी, वहीं प्लेगरिजम के लिये उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की जानकारी के द्वारा शोध की विश्वसनीयता, गुणवत्ता एवं प्रकाशन में नैतिकता की अभिवृद्धि में सहायक होगी।

प्राचार्य प्रोफेसर लोकेश कुमार शर्मा ने स्वागत व्यक्तव्य प्रस्तुत करते हुए बताया कि महाविद्यालय मदस वि०वि अजमेर का एक महत्वपूर्ण शोध केंद्र है, जहां वर्तमान में लगभग 45 शोधार्थी शोधरत हैं। यह कार्यशाला शोधार्थियों के साथ-साथ संकाय सदस्यों की क्षमता अभिवृद्धि एवं संकाय विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्राचार्य प्रोफेसर लोकेश शर्मा, प्रोफेसर आर एन मिश्रा, डॉक्टर अश्विनी तिवारी एवं प्रोफेसर गजेंद्र सिंह द्वारा कार्यशाला के प्रतिभागियों को कार्यशाला प्रमाण पत्र वितरण के साथ ही कार्यशाला संपन्न हुई।

आम सूचना
सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मेरा चैक नम्बर 240197 अंकित राशि 6,15,000/- रूपये जो कि भारतीय स्टेट बैंक लूनियावास शाखा जयपुर का है। उक्त चैक कही गुम हो गया है या किसी ने चुरा लिया है यदि किसी को मिले तो कृपया लौटाने की कृपा करें। और किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग ना करें। अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
नासिर खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद
निवासी प्लाट नम्बर 277 केसर वाटिका
खोहनागोरियान जगतपुरा जयपुर राज. मो. 9352692040

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक 6296 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 30.01.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सेक्टर-26 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में फ्लेट सं.26/A2/612 (EWS) का आवंटन दि.29.09.2023 को श्री राजकुमार साह पुत्र श्री देवकी नन्दन साह को किया गया था। श्री राजकुमार साह की मृत्यू दि.10.04.2024 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती उषा साह पत्नी स्व.श्री राजकुमार साह द्वारा उक्त फ्लेट को अपने नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लेट के हस्तांतरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्रीमती उषा साह पत्नी स्व. श्री राजकुमार साह का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया
मेरा राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल द्वारा जारी फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट संख्या 54111 जारी दिनांक 10.02.2020 गुम गया है। मिलने पर संपर्क करें-अजय गुप्ता- 9785429368
मेरा मकान सं. 64/393 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, मूल नियमितिकरण फार्म रसीद व मूल Conveyance & Perpetual Lease Deed कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें-चन्द्र प्रकाश पारीक- 9351444040

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) आमेर, जिला जयपुर
क्रमांक-भू.अ./920 दिनांक-31.01.2025
आम सूचना का नोटिस
हर आम खास को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीया मोना गुप्ता पत्नि दीपक गुप्ता पुत्री स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल निवासी 71-ए, चंद्रकला कॉलोनी, फोर्ट एवेन्यु दुर्गापुरा जिला जयपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि स्व. रामेश्वरलाल पुत्र स्व. मालीराम जाति अग्रवाल निवासी म.नं. 221 मेहमियो का दरवाजा/हल्दियों का रास्ता जिला जयपुर द्वारा अपने जीवनकाल में एक अंतिम वसीयतनामा प्रार्थीया मोना गुप्ता पत्नि दीपक गुप्ता पुत्री स्व. रामेश्वर लाल जाति अग्रवाल निवासी 71-ए, चंद्रकला कॉलोनी, फोर्ट एवेन्यु दुर्गापुरा जिला जयपुर के पक्ष में दिनांक 02.08.2019 को उपपंजियक षष्ठम जयपुर के यहां पंजिबद्ध करवाया गया है। वसीयतकर्ता की 02.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाब का नला प.म. नांगल सुसावतान तहसील आमेर की कृषि भूमि मृतक ताहेदार रामेश्वरलाल पुत्र मालीराम जाति अग्रवाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के खाता संख्या 124 में ख.नं. 463, 464, 465/628, 477/631, 479 किता 5 कुल रकबा 2.64 हेक्टे. खाता संख्या 125 में ख.नं. 464/584, 479/585, 480, 481, 491/711, 495/712, 496, 497, 498, 499/713 कुल किता 10 कुल रकबा 2.08 हेक्टे. भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 91 में ख.नं. 753, 454 वगैराह किता 13 कुल रकबा 21.50 हेक्टे. भूमि खातेदार मालीराम मेमिया एच.यू.एफ. द्वारा कर्ता रामेश्वरलाल जी मैमिया श्री मालीराम हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल निवासी हल्दियों का रास्ता चौकडी घाट दरवाजा जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमियों का नामान्तकरण प्रार्थीया मोना गुप्ता पत्नि दीपक गुप्ता पुत्री स्व. रामेश्वरलाल जाति अग्रवाल के पा में खोला जावें। प्रकरण प्राप्त होने पर धारा 135(2) एलआर एक्ट 1956 के तहत दर्ज किया जाकर यह पत्रावली खोली गई। प्रकरण में यदि किसी को कोई उज्र एतराज अथवा आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी 10.02.2025 को न्यायालय हाजा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण का एकतरफा निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित रहे। यह नोटिस आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एव कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार (भू.अ.) तहसील आमेर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6248 दिनांक-28.01.2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संया 261/342 (EWS), (एरिया 50.625 वर्गमीटर) प्रताप नगर सांगानेर का आवंटन श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी श्री संतोष सिंह को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 8443 दिनांक 04.12.2005 को जारी किया गया। श्रीमती गुरमीत कौर के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 19.01.2006 को उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती गुरमीत कौर द्वारा श्री सुनील कुमार मदनानी पुत्र श्री परसराम मदनानी को दिनांक 19.01.2006 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री सुनील कुमार मदनानी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 27.03.2006 के द्वारा श्री गोविन्द शर्मा पुत्र श्री लालाराम शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री गोविन्द शर्मा द्वारा श्री आनन्दी लाल विजय पुत्र श्री राम सहाय विजय को दिनांक 13.02.2007 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री आनन्दी लाल विजय द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 24.05.2007 के द्वारा श्री कर्मजीत सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री कर्मजीत सिंह द्वारा श्रीमती पिन्टू देवी पत्नी श्री त्रिलोक खटीक को दिनांक 06.01.2009 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती पिन्टू देवी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 26.02.2009 के द्वारा श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री लीलाधर परछेवाल को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती मंजू देवी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 25.10.2024 के द्वारा श्री कृष्ण कुमार गर्ग पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर दशम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अतः उक्त आवास/फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पाकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताार कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री कृष्ण कुमार गर्ग पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

तीये की बैठक
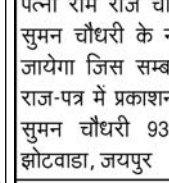
अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती विद्या देवी** धर्मपत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 30.01.2025 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 01.02.2025 (शनिवार) को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान डी-46 मजदूर नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी।
शोकाकुल-राजकुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह (पुत्र), जितेन्द्र सिंह (जीतू), गौरव, आशीष, अनुरोध, दक्ष, सोनू एवं समस्त पंवार परिवार।
मो. 9799545488, 9982660008, 7533925658

नाम परिवर्तन
मैं मेघराज गुर्जर निवासी उटीटाना धास जिला टोंक (राज.) मेरे पुत्र का नाम आशिक गुर्जर से बदल कर आशीष गुर्जर कर लिया है। भविष्य में मुझे आशीष गुर्जर के नाम से जाना और पहचाना जायेगा।
मेरे नाम मधु देवी व सुमन चौधरी पत्नी राम राज चौधरी थे अब मुझे सुमन चौधरी के नाम से ही जाना जायेगा जिस सम्बन्ध में राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन करवा दिया है। सुमन चौधरी 93, चन्द्र नगर-ए, झोटवाडा, जयपुर
मैंने अपना नाम बाबुडी देवी से बदलकर सीता देवी धर्म पत्नी स्व. माली राम जाति गुर्जन निवासनी ग्राम कोल्याणा पो.भा. नपुर कलॉ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे सीता देवी के नाम से जाना पहचाना जावें।
I have changed my name from Kishan Kumar Rathi to Kishan Rathi for all purpose. R/o G-6 Ram Nagar Vistar Sodala Shyam Nagar, Jaipur
I Mohammad Usman S/o Naseer Khan 114 Dhanna das bagichi adarsh nagar Jaipur Have Changed Name Mohammed Usman to Mohammad Usman

आम सूचना दिनांक 01.02.25
सर्व साधारण सूचित किया जाता है की मेरे अभिभाष्यगण श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री फैय्याजुद्दीन एवं अमीना बेगम धर्मपत्नी शहाबुद्दीन निवासी 52 नानगी का चौराहा, बांस बदनपुरा जयपुर 302002 के पुत्र नईमुद्दीन एवं पुत्रवधु सायरा बानो मेरे अभिभाष्यगण के कहने सुनने में नहीं हैं उनके बुरे बर्ताव के कारण दिनांक 25.01.2025 से मेरे अभिभाष्यगण ने उनको अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है कोई भी संस्था, व्यक्ति, बैंक इत्यादि मेरे पुत्र नईमुद्दीन एवं मेरी पुत्रवधु सायरा बानो से कोई संव्यवहार करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी. अतः सूचित रहे।
जयपुर Mohammad Aslam (Advocate) Chamber No:103E-Block, Saras Parlour Raj High Court Jaipur

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य पवन कुमार प्रोवर का एक प्लॉट नम्बर 02/167, विद्याधर नगर योजना, जयपुर में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर है। उक्त सम्पत्ति का आवंटन जे.डी.ए. जयपुर द्वारा 24.11.1987 को सुशील सक्सैना के हित में किया गया तत्पश्चात् जे.डी.ए. द्वारा उक्त सम्पत्ति का कब्जा 28.06.1988 को सुशील सक्सैना को संभला दिया, तत्पश्चात् सुशील सक्सैना ने उक्त सम्पत्ति में से 1/2 अविभाजित हिस्से को विक्रय पत्र 09.07.1993 द्वारा प्रेम रतन शर्मा को विक्रय किया व सुशील सक्सैना ने उक्त सम्पत्ति का शेष 1/2 अविभाजित हिस्सा जरिये विक्रय पत्र 09.07.1993 द्वारा श्रीमती रीना देवी को विक्रय किया, तत्पश्चात् प्रेम रतन शर्मा एवं रीना देवी शर्मा ने उक्त सम्पत्ति को जरिये विक्रय पत्र 03.01.1996 द्वारा मोहन लाल प्रोवर को विक्रय कर दिया, तत्पश्चात् मोहन लाल प्रोवर ने उक्त सम्पत्ति को अपने नाम से जरिये नाम हस्तान्तरण पत्र दिनांक 07.10.2011 द्वारा अपने नाम से नाम हस्तान्तिरित करवा लिया, तत्पश्चात् जे.डी.ए. द्वारा उक्त सम्पत्ति का पट्टा विलेख 17.01.2012 को मोहन लाल प्रोवर के हित में जारी किया। तत्पश्चात् मोहन लाल प्रोवर ने उक्त सम्पत्ति व अपनी एक दुकान बाबत् अपने जीवन काल में एक वसीयतनामा दिनांक 15.12.2016 पंजीकृत दिनांक 23.02.2018 को राधे श्याम प्रोवर व पवन कुमार प्रोवर के हित में निष्पादित कर दी। तत्पश्चात् मोहन लाल प्रोवर का स्वर्गवास 24.08.2020 को हो गया तथा उनकी पत्नी विमला प्रोवर का स्वर्गवास 19.05.2020 को हो चुका था। मोहन लाल प्रोवर के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वसीयतनामा प्रभावी हो गई उक्त वसीयतनामा के आधार पर उनका पुत्र पवन कुमार प्रोवर उक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी हआ, तत्पश्चात् पवन कुमार प्रोवर ने उक्त सम्पत्ति को जे.डी.ए. में जरिये नाम हस्तान्तरण पत्र 17.01.2012 द्वारा अपने नाम से नाम हस्तान्तिरित करवा लिया। इस प्रकार पवन कुमार प्रोवर उक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज, व अधिकारी है। यह कि उक्त सम्पत्ति बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक, वित्तीय संस्था, सगे सम्बन्धी या अन्य कोई वारिसान, जनसाधारण, उत्तराधिकारी इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपत्ति/ऐतराजात मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें। उक्त अवधि गुजर जाने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा उक्त अवधि के पश्चात् इस आम सूचना बाबत् कोई भी आपत्ति/ऐतराजात किसी भी न्यायालय में शून्य व निरस्त समझी जायेंगी।
बी.सी. सांखला, एडवोकेट, मो.: 9829063273

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 17/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञान चन्द जैन निवासी प्लॉट नम्बर 52 परिवहन नगर, सूर्य नगर जिला अलवर राज.-301001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान समिति, अलवर मन्त्री का वड, तहसील व जिला अलवर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.04.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर तृतीय, जयपुर
नोटिस अन्तर्गत धारा 72 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
श्री चौपडा साउण्ड विरूद्ध साहिल कार्गो बनाम श्री साहिल कार्गो मूवर्स जरिये प्रबंधक पता 2102 बोराज हाऊस, बोराज ठाकुर का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर
चूंकि इस फर्म द्वारा दिनांक 13.05.2022 को उक्त प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध आदेश पारित कर निर्देश दिया गया था।
अप्रार्थी-
निर्णय प्रति संलग्न है।
जिसकी अनुपालना आप द्वारा अभी तक नहीं की गई हैं
अतः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.03.2025 को आप स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बतावे कि अन्यथा आपको 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा तीन वर्ष के कारावास से क्यों नहीं दण्डित कि